

प्रेस नोट दिनांक: 28.06.2025

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

सड़क पर चढ़ा शुरू तो जेल जाओगे जरूर

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में नशेबाजों पर की गई बड़ी कार्यवाही 13 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

-आपरेशन नशा मुक्ति अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नशेबाजों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ने दिए खुलेआम नशेबाजी करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश

- जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करने वालों पर कारवाई के निर्देश
- "आपरेशन नशा मुक्ति" चलाकर पुलिस उतारेगी नशेबाजों के नशा का शुरू
- कार्यवाही के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति किया जा रहा जागरूक
- कानून व्यवस्था को मजबूत रखने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है मकसद
- नशे के कारण परिवार को बिखरने से बचाना व युवा पीढ़ी को इस ज़हर से दूर रखना प्रतापगढ़ पुलिस का उद्देश्य

शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/ पश्चिमी) एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा "आपरेशन नशा मुक्ति" अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करने तथा अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

उक्त अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 27.06.2025 को 13 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने पर पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

प्रतापगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों/शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार ने इस सम्बन्ध में कहा कि मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को "आपरेशन नशा मुक्ति" अभियान लगातार चलाकर शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के माद पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हाट स्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी/विधिक कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं।

“आपरेशन नशा मुक्ति” अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जा रहा है ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

एसटीएफ कानपुर व थाना पट्टी पुलिस की बड़ी कामयाबी — ₹50,000/- के इनामी अपराधी महफूज उर्फ मैफुजुर रहमान गिरफ्तार-

अभियुक्त पर ₹50,000/- का पुरस्कार पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा किया गया था घोषित

थाना पट्टी के करैला बाजार में फायरिंग की घटना में सम्मिलित रु0 50 हजार का इनामियां गिरफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर प्रयागराज -वाराणसी हाईवे थाना क्षेत्र सोराव, प्रयागराज से किया गया गिरफ्तार

दिनांक 27.06.2025 को एसटीएफ टीम कानपुर उ0नि0 राहुल परमार मय हमराह हे0का0 देवेश द्विवेदी, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 अशोक राजपूत, का0 सत्यम यादव चालक कां0 धर्मेन्द्र प्रताप व थाना पट्टी के उ0नि0 राहुल कुमार परमार मय हमराह हे0का0 देवेश द्विवेदी, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 अशोक राजपूत, का0 सत्यम यादव, चालक कां0 धर्मेन्द्र प्रताप द्वारा संयुक्त रूप से मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 50 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त महफूज उर्फ मैफुजुर रहमान पुत्र मोइजुर रहमान निवासी पूरेदेवजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को प्रयागराज -वाराणसी हाईवे थाना क्षेत्र सोराव, प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया ।

थाना पट्टी पुलिस के सहयोग से दिनांक 27.06.2025 को एसटीएफ टीम कानपुर यूनिट उ0प्र0 द्वारा थाना पट्टी पुलिस के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रयागराज -वाराणसी हाईवे थाना क्षेत्र सोराव, प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी/ गिरफ्तारी में पट्टी पुलिस टीम का सहयोग प्राप्त हुआ ।

-पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज महोदय द्वारा शांति अभियुक्त महफूज उर्फ मैफुजुर रहमान पुत्र मोइजुर रहमान निवासी पूरेदेवजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

1. महफूज उर्फ मैफुजुर रहमान पुत्र मोइजुर रहमान निवासी पूरेदेवजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

अभियुक्त महफूज उर्फ मैफुजुर रहमान पुत्र मोइजुर रहमान निवासी पूरेदेवजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 141/21 धारा 188, 269, 270 भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-

एसटीएफ टीम कानपुर- 30नि0 राहुल परमार मय हमराह हे0का0 देवेश द्विवेदी, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 अशोक राजपूत, का0 सत्यम यादव, चालक कां0 धर्मेन्द्र प्रताप ।

थाना पट्टी पुलिस- 30नि0 राहुल कुमार परमार मय हमराह हे0का0 देवेश द्विवेदी, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 अशोक राजपूत, का0 सत्यम यादव, चालक कां0 धर्मेन्द्र प्रताप थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

अवैध तमंचा /कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त शराफत अली उर्फ सुहेल उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत हुमायूपुल के पास ग्राम दिलीपपुर के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शत्रुधन वर्मा के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर के 30नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह 30नि0 कौशल पति का0 शिव मंगल द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त शराफत अली उर्फ सुहेल पुत्र ताहिर अली निवासी ग्राम कशेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत हुमायूपुल के पास ग्राम दिलीपपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर किया गया । उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 111 / 25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शराफत अली उर्फ सुहेल पुत्र ताहिर अली निवासी ग्राम कशेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

30नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह 30नि0 कौशल पति का0 शिव मंगल थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत नर्मदा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 14/04/2025 को ग्राम सराय रतऊ, थाना रानीगंज निवासी वादी को विपक्षीगण अहमद अली व उसके परिजनों सहित लगभग 13-14 लोगों ने एक राय होकर वादी की भूमि पर जबरन नींव खोदते समय विरोध करने पर लाठी-डंडों व ईंट-पत्थरों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यूसुफ द्वारा सिर पर वार कर वादी को अचेत कर दिया गया। आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। जिसके संबंध में थाना रानीगंज पर मु०अ०स० 105 / 25 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस बनाम 09 नामजद व्यक्तियों व 05 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में 30नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह का० रुद्रांश चौबे, का० संतोष सिंह, का० योगेन्द्र यादव, का० प्रदीप कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु०अ०स० 105/25 धारा 115 (2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त मो० युसुफ खान पुत्र अहमद अली खान निवासी सराय रतऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को थानाक्षेत्र रानीगंज के नर्मदा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- मो० युसुफ खान पुत्र अहमद अली खान निवासी सराय रतऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

30नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह का० रुद्रांश चौबे, का० संतोष सिंह, का० योगेन्द्र यादव, का० प्रदीप कुमार यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या का प्रयास, आपराधिक षडयंत्र, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 09.06.2025 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नियाज़पुर में वादी एवं उसके परिजनों पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगणों द्वारा लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। घटना में वादी व उनकी बहन को गंभीर चोटें आईं तथा अन्य परिजनों को भी घायल हो गये। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0स0 198/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2)a, 115(2), 351(3), 109(1) बीएनएस बनाम 10 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अर्जून सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष कुमार राय मय हमराह का० पंकज यादव व हसबुल तलब हमराह का० विकास बाबू, का० नारायण निषाद व का० देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0स0 198/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2)a, 115(2), 351(3), 109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त, नियाज अहमद पुत्र महमूद निवासी सराय रतऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- नियाज अहमद पुत्र महमूद निवासी सराय रतऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 संतोष कुमार राय मय हमराह का० पंकज यादव व हसबुल तलब हमराह का० विकास बाबू, का० नारायण निषाद व का० देवेन्द्र सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डाँ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या का प्रयास, आपराधिक षडयंत्र, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 09.06.2025 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नियाज़पुर में वादी एवं उसके परिजनों पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगणों द्वारा लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। घटना में वादी व उनकी बहन को गंभीर चोटें आईं तथा अन्य परिजनों को भी घायल हो गये। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0स0 198/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2)a, 115(2), 351(3), 109(1) बीएनएस बनाम 10 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अर्जून सिंह के नेतृत्व में उ०नि० संतोष कुमार राय मय हमराह का० पंकज यादव व हसबुल तलब हमराह का० विकास बाबू का० नारायण निषाद व का० देवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु०अ०स० 198/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2)a, 115(2), 351(3), 109(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त, नियाज अहमद पुत्र महमूद निवासी सराय रतऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र रानीगंज के पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- नियाज अहमद पुत्र महमूद निवासी सराय रतऊ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० संतोष कुमार राय मय हमराह का० पंकज यादव व हसबुल तलब हमराह का० विकास बाबू, का० नारायण निषाद व का० देवेन्द्र सिंह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 अदद बांस के डण्डे बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत भावापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 26.06.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत आसपुर देवसरा ग्राम भावापुर में वादी के भतीजे को पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा लाठी, डण्डा, धारदार हथिहार से हमला किया गया । शोरगुल सुनकर वादी के परिजन बीच बचाव करने गये तो गाली गलौज, धमकी देते हुए उनके साथ भी विपक्षी गण द्वारा मारपीट की गई । गांव के लोगों द्वारा बीच बचाव किया गया । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 184/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 351(3), 352, 110 बीएनएस बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ०नि० योगेन्द्र सिंह मय हमराह हे०का० जितेन्द्र कुशवाहा व का० प्रतीक कुमार व का० कैलाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मु०अ०स० 184 / 25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 351(3), 352, 109(1) बीएनएस में वांछित 02

अभियुक्तों, 01. विवेक पाण्डेय 02. अर्पित पाण्डेय पुत्र कालीचरण पाण्डेय निवासी ग्राम भावापुर दुबेपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत भावापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद बांस के डण्डे बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. विवेक पाण्डेय पुत्र कालीचरण पाण्डेय निवासी ग्राम भावापुर दुबेपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
02. अर्पित पाण्डेय पुत्र कालीचरण पाण्डेय निवासी ग्राम भावापुर दुबेपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने बांस के डण्डों से आशीष पाण्डेय के सिर पर वार किया था तथा घटना के बाद प्रयुक्त डण्डों को मौके के पास स्थित झाड़ियों में छिपा दिया था। अभियुक्तगण की निशानदेही पर मौके पर ले जाकर बांस के डण्डों की बरामदगी कराई गई। अभियुक्तों ने स्वयं झाड़ियों के पास पहुँचकर एक-एक डण्डा उठाकर दिखाया और बताया कि यही वही डण्डे हैं जिससे हम लोगों ने आशीष पाण्डेय के सिर पर मारा था ।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 02 अदद बांस के डण्डे बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० योगेन्द्र सिंह मय हमराह हे०का० जितेन्द्र कुशवाहा व का० प्रतीक कुमार व का० कैलाश यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा अपहरण कर फिरौती मांगने के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

अभियुक्त को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत झींगुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक-11.01.2025 को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत दयाल का पुरवा ग्राम गिस्था के पास गाड़ी ओवर टेकिंग करने को लेकर वादी को आरोपीगणों द्वारा मारपीट कर फिरौती मागने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी में जबरन उठा ले जाने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में मु०अ०सं० 06/25 धारा 140(2), 308(5), 115(2), 352,

351(3) बीएनएस बनाम 03 नामजद व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्तों को दिनांक-14.01.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महेशगंज उ०नि० श्री मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० प्रभाशंकर सचान मय हमराह का ० रामप्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मूखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज में मु०अ०सं० 06/25 धारा 140(2), 308(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त दिगविजय यादव उर्फ दीपू पुत्र अनिल यादव निवासी सरायछत्ता थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थाना महेशगंज क्षेत्रांतर्गत झींगुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियोग उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्तों को दिनांक-14.01.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार दिगविजय यादव ने पूछताछ में बताया कि घटना दिनांक 11.01.2025 को वह अपने अन्य साथियों, विदित नारायण शुक्ल, आदित्य नारायण शुक्ल (पूर्व में गिरफ्तार) के साथ मिलकर, अभय सिंह पटेल की गाड़ी को ओवरटेक कर रुकवाया, मारपीट की और असलहे की नोक पर उसे जबरन क्रेटा गाड़ी में बैठाकर अगवा किया था। रास्ते में पीड़ित से ₹1,00,000/- की फिरौती मांगी गई, असमर्थता जताने पर असलहे की वट से सिर पर वार कर घायल दिये थे। पीड़ित की जेब से ₹15,650 नकद, सोने की चेन (1.5 ग्राम), अंगूठी (5 ग्राम) एवं अन्य दस्तावेज लूट लिए थे। साथ ही, पीड़ित के मोबाइल से ₹8,900/- की जबरन ऑनलाइन ट्रांसफर की गई तथा और रुपये मंगवाने के लिए दबाव डाला गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- दिगविजय यादव उर्फ दीपू पुत्र अनिल यादव निवासी सरायछत्ता थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० प्रभाशंकर सचान मय हमराह का ० रामप्रकाश यादव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमुआरी में वादी व उसके परिजनों को आपसी विवाद को लेकर आरोपीगणों द्वारा लाठी-डंडों व धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 02.06.2025 को थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं० 135/2025 धारा

109(1), 115(2), 352, 351(2), बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va)(क), 3(2)v एससी/एसटी एक्ट बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ०नि० अजीत सिंह मय हमराह का० रवि प्रकाश यादव, का० विजय बघेल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु०अ०सं० 135/2025 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(2), बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va)(क), 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त सुभाष गौड़ पुत्र बाबूलाल गौड़ निवासी जमुआरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को सिविल लाइन बस स्टैंड प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- सुभाष गौड़ पुत्र बाबूलाल गौड़ निवासी जमुआरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० अजीत सिंह मय हमराह का० रवि प्रकाश यादव, का० विजय बघेल थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।